न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :— अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्याः— 13/20 निर्णय दिनांकः—02.02.2021

1 श्री वेला पिता लालजी जाति ढोली निवासी गडावाटेश्वर तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1 श्री जीवा पिता नाथु डेण्डोर जाति मीणा निवासी गडावाटेश्वर तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 श्री मान तहसीलदार एवं उपपंजीयक महोदयजी सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 188, 92 ए व 209 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम

सपठित धारा 212 जा. दी.

उपस्थित :— श्री श्रवण रावल वादी की ओर से

श्री कल्पेश भारती प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादी द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी व प्रतिवादी गांव गडावाटेश्वर के स्थायी निवासी है। वादी खेतीबाडी कर अपना जीवन यापन कर रहा है। वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा गडावाटेश्वर में खाता संख्या 94, खसरा नम्बर 189, 190 कुल खेत किता 2 कुल रकबा 0.2590 हैक्टेयर होकर स्थित है। वाद कारण आज से एक सप्ताह पूर्व वादी अपने कब्जे की खातेदारी आराजी में साफ सफाई का कार्य कर रहा था उसी समय प्रतिवादी जबरन अतिक्रमण करने की नियत से वादी के खेतों में टेक्टर से पत्थर उतार दिये एवं जेसीबी मशीन लगाकर खुदाई करने लगा। प्रतिवादी वादी की उक्त कब्जे काश्त की खाातेदारी आराजी में जबरन निर्माण करने को उतारू है। वादी ने उक्त जमीन में खुदाई नहीं करने की बात करने पर प्रतिवादी ने वादी व उसके परिवार को जान से खत्म करने की धमकी दी है। इसके साथ प्रतिवादी वादी को उसके कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में काश्त करने रूकावट उत्पन्न कर परेशान कर रहा है। ओर जबरन वादी के खेतों में पत्थर डालकर निर्माण कार्य करने उतारू हो गया है। वादी ने वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज होने से तुम्हे कोई झंगडा करने का हक अधिकार नहीं है। कहकर वादी ने प्रतिवादी को राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन प्रतिवादी समझने को तैयार ही नहीं हुआ।

क्रमशः पेज 2 पर

ओर वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल करने की धमकी देने लगे। तो वादी ने कहा कि वादग्रस्त आराजी खातेदारी आराजी है जिसे प्रतिवादी का कोई हक एवं अधिकार नहीं है लेकिन प्रतिवादी जबरन, जोर जबरदस्ती वादी को वादग्रस्त आराजी से बेदखल होने की धमकी देने लगे। जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाने आवश्यक हैकि वे वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा गडावाटेश्वर में खाता संख्या 94, खसरा नम्बर 189, 190 कुल खेत किता 2 कुल रकबा 0.2590 हैक्टेयर होकर स्थित है। जिसमें प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजी का वादी को उपयोग उपभोग में रूकावट पैदा न स्वयं करे, न ही अपने मित्र एजेन्ट व मजदुरों से करावे।

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी न्यायालय जरीए अधिवक्ता उपस्थित हुए। वादी का वाद स्वीकार किया गया है।

1 प्रदर्श– 1 संवत 2072–20745 की हाल जमाबंदी

विद्वान अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा गडावाटेश्वर में खाता संख्या 94, खसरा नम्बर 189, 190 कुल खेत किता 2 कुल रकबा 0.2590 हैक्टेयर होकर स्थित है। लेकिन प्रतिवादी द्वारा जबरन विवाद कर प्रतिवादी जबरन अतिक्रमण करने की नियत से वादी के खेतों में टेक्टर से पत्थर उतार दिये एवं जेसीबी मशीन लगाकर खुदाई कर जबरन निर्माण करने को उतारू है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त आराजी वादी के नाम से दर्ज होकर मौके पर काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहा है। वादी के पक्ष में डिक्री फमराया जाना आवश्यक है।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रदर्श 1 से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। ओर खातेदार काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। प्रतिवादी वादी की आराजी में जबरन कब्जा करने के लिए विवाद करते है। तथा वादी को काश्त में रूकावट पैदा करते है। ऐसे में प्रतिवादी को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे।

क्रमशः पेज 3 पर

आदेश

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के कब्जे काश्त की कृषि भुमि मौजा गडावाटेश्वर में खाता संख्या 94, खसरा नम्बर 189, 190 कुल खेत किता 2 कुल रकबा 0.2590 हैक्टेयर भुमि होकर स्थित तथा ऐसे में प्रतिवादी को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

अनिल कुमार जैन
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 02.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

डिकी व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजर कोड, एपेन्डियस डी–1)

ज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

जलास श्री उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन सीमलवाडा

ो वेला बनाम श्री जीवा वगैरह

द बाबत:– स्थायी निषेधाज्ञा 188, 92 ए व 209 राज.टी. एक्ट व सपठित धारा 151 जा.दी

कदमा नम्बर:– 13/2020

ह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :– श्री अनिल कुमार जैन

हाजरी :– श्री श्रवण रावल मिनजानिब मुदई व कल्पेश भारती मिनजानिब मुदायलाह उपस्थिति ोकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि:–

मौजा गडावाटेश्वर में खाता संख्या 94, खसरा नम्बर 189, 190 कुल खेत किता 2 कुल रकबा 0.2590 हैक्टेयर भुमि होकर स्थित तथा ऐसे में प्रतिवादी को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वादग्रस्त आराजी मे वादी को काश्त करने मे रुकावट पैदा नही करे।

रे दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 02.02.2021 को जारी की गई।

द उपखण्ड अधिकारी . . . . . .
ओहद सीमलवाडा . . . .

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प वजेह सबुत		मेहनतनामा वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
फीस कमीश्नर		फिस कमीश्नर	
खर्चा गवाहान		बाबत इजराय हुक्मनामा	
बबत इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक			
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा